भारत COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(21)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R/24-PBR/17

1— नानुराम पिता भागु जाति काछी उम्र वयस्क
धंधा खेती निवासी ग्राम उज्जैनी तह. व जिला धार

2— गौरेलाल पिता भागु जाति काछी उम्र वयस्क
धंधा खेती निवासी ग्राम उज्जैनी तह. व जिला धार

..........................निगरानीकर्ता

बनाम

1— पार्वतीबाई पिता भागु जाति काछी
निवासी इंदौर जिला इंदौर

2— अनिताबाई बेवा कनीराम जाति काछी
निवासी 35—36 मीणा पेलेस रामनगर रिंग रोड चौराहा
मुसाखेडी इंदौर जिला इंदौर

3— विनोद पिता कनीराम जाति काछी

4— सरिता बेवा राजेश जाति काछी

5— प्रबोध पिता राजेश जाति काछी
ना.बा. पालनकर्ता माता सरितबाई
क्र 3 से 5 निवासी मयुर नगर गली नंगर 4
मुसाखेडी इंदौर जिला इंदौर ....विपक्षीगण

श्री ... चतुर्वेदी, अभि. द्वारा आज दि. 6-1-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
52
6-1-17
06/01/17

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

(तहसीलदार धार (वृत्त सागौर) द्वारा प्रकरण क्रमांक 99/अ—27/2014—15 के आदेश दिनांक 26.12.2016 से असंतुष्ट होकर)

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंता विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम उज्जैनी तहसील व जिला धार में स्थित भूमि सर्वे नंबर 97 कुल रकबा 3.104 हैक्टर होकर उक्त भूमि वर्ष 2005—06 में व उसके पूर्व से नानुराम, कनीराम, गौरेलाल पिता भागु व लक्ष्मीबाई बेवा भागु के नाम से दर्ज रही है ऐसी दशा में उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता का 1/4, 1/4 हक है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 124-पीबीआर/17 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-2019	आवेदकगण की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक पक्ष की ओर से श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 26-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	